ई-मेल/डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.6(1)(35)रोल/निर्वा/2016/मतदान केन्द्र/1632   **जयपुर, दिनांक** 20-4-2016

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन एवं सुव्यवस्थिकरण करने के संबंध में।
प्रसंग : इस विभाग का पत्र क्रमांक 1033 दिनांक 10 मार्च, 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 1033 दिनांक 10, मार्च, 2016 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन का कार्य दिनांक 10 अप्रैल, 2016 तक पूर्ण किया जाना है। भौतिक सत्यापन की कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा एक प्रपत्र निर्धारित किया गया था, जो कि प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

2. चूंकि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भौतिक सत्यापन का कार्य दिनांक 10 अप्रैल, 2016 तक पूर्ण किया जाना है इसलिए भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट जैसे ही दिनांक 10 अप्रैल, 2016 तक या इसके तुरन्त बाद कार्यालय में प्राप्त हो, इसका विशलेषण किया जाए तथा **परिशिष्ट 'ए'** में सूचना विभाग को आगामी 25 अप्रैल, 2016 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उनके जिले/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण करें। भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के बाद विभाग के प्रासंगिक पत्र के द्वारा दिए गए निर्देशों **के अनुसार मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण के विषय में कोई बड़ी कार्यवाही यथा नए मतदान केन्द्रों का सृजन, सहायक मतदान केन्द्रों को स्वतन्त्र मतदान केन्द्र बनाया जाना, मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन आदि कार्य नहीं किया जाना है।** विभाग के उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में भौतिक सत्यापन की रिर्पोट के आधार पर निम्न प्रकार से प्रस्ताव तैयार किए जाने है ताकि तद्नुसार इन प्रस्तावों पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

3.1 **मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन के प्रस्ताव** – भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसे मतदान केन्द्र जिनके भवन जीर्ण-शीर्ण हो गए है या मतदान केन्द्र का भवन पोलिंग एरिया के बाहर स्थित है या प्रथम एवं द्वितीय तल पर स्थित है या गैर सरकारी भवन में स्थित है या मतदान केन्द्र तक पहुँचने में प्राकृतिक बाधा यथा नदी, नाले, वन क्षेत्र हों तो ऐसे मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के दौरान इनके लिए चिन्हित किए गए सरकारी भवन में स्थानांतरित करने हेतु भौतिक सत्यापन के समय चिन्हित किए गए उपयुक्त सरकारी भवन में स्थानांतरित करने हेतु संलग्न **परिशिष्ट-बी** में प्रस्ताव तैयार किए जाए। भवन जीर्ण-शीर्ण होने की स्थिति में उक्त प्रस्तावों के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट को आवश्यक रूप से संलग्न किया जाए। इसी प्रकार निजी

भवनों में सचालित स्कूल/संस्था के स्थानांतरण/बन्द हो जाने या भवन बेचान हो जाने की स्थिति में जिले के शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था के जिला स्तरीय कार्यालय से जारी तत्संबंधी आदेशों की प्रमाणित आदेश की प्रति संलग्न की जाए। इन प्रस्तावों पर जिला स्तर पर गठित स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न की जाए।

3.2 **मतदान केन्द्रों के क्षेत्र/परिक्षेत्र में विवरण का अंकन कराया जाना** – गत् लोकसभा/विधानसभा आम चुनाव के दौरान आयोग द्वारा अधिसूचित मतदान केन्द्रों के क्षेत्र/परिक्षेत्र जिनका विवरण अंकित होने से छूट गया है, का भी अंकन वर्तमान में मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण की प्रक्रिया के दौरान किया जाना है। यदि किसी भाग संख्या में त्रुटिवश कोई अनुभाग सम्मिलित हो गया है और ऐसा अनुभाग किसी अन्य भाग संख्या में शामिल है तो उसे सही भाग संख्या में स्थानांतरित करने का कार्य भी किया जाएगा। इसी प्रकार से मतदान केन्द्र को सुव्यवस्थित करने हेतु यदि और भी अनुभाग सृजित किए जाने है तो वर्तमान में अधिसूचित मतदान केन्द्रों में नए अनुभाग सृजित करने हेतु भी यदि कोई प्रस्ताव है तो संलग्न **परिशिष्ट–'सी'** में प्रस्ताव तैयार कर विभाग को प्रेषित किए जाए ताकि मतदान केन्द्रों में प्रस्तावित क्षेत्र/परिक्षेत्र का स्पष्ट रूप से अंकन सुनिश्चित किया जा सके। इन प्रस्तावों पर भी आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

4. कृपया उपरोक्त प्रस्तावों को क्रम संख्या 3.1 के भवन परिवर्तन के प्रस्तावों पर जिला स्तर पर गठित स्थाई समिति से विचार–विमर्श किया जाए तथा इसके पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव (हिन्दी/अंग्रेजी में) **दिनांक 05 मई, 2016** तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि उक्त प्रस्तावों पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जिला स्तर पर मतदान केन्द्रों की सूची की समीक्षा कर लें तथा ऐसे मतदान केन्द्र जो विद्यालय में स्थापित है एवं विद्यालय क्रमोन्नत हो गए है तो इस प्रकार के संशोधन जिला स्तर पर कर लिए जाए।

6. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के दौरान मतदान केन्द्र का वास्तविक फोटों, नाप–जोप का स्कैच, नजरी नक्शें, आधारभूत सूचनाओं का संकलन आदि के विषय में कार्यवाही मतदाता सूचियों के आगामी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व की जानी होगी। तद्नुसार यथा समय विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जाएगें।

7. आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों के गूगल पर मैपिंग के विषय में दिशा–निर्देश यथा शीघ्र प्रेषित किए जाएगें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

(राजेश यादव)
कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

Rolls-2016, Polling stations

परिशिष्ठ – ए

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का विश्लेषण

जिले का नाम ....

क्र. स.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्र		भवन की विशिष्ठियॉं			निर्धारित संख्या से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों की संख्या		धार्मिक स्थल, पुलिस स्टेशन या अस्पताल में स्थापित मतदान केन्द्रों की संख्या	जीर्णशीर्ण मतदान केन्द्रों की संख्या	भवन परिवर्तन के प्रस्तावों की संख्या (निजी भवन या जीर्णशीर्ण भवन की दशा में)	मतदान क्षेत्र से बाहर मतदान केन्द्रों की संख्या	20वर्गमीटर के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले मतदान केन्द्रों की संख्या
			शहरी	ग्रामीण	सरकारी	अर्द्वसरकारी	निजी	ग्रामीण क्षेत्र (1200 से अधिक)	शहरी क्षेत्र (1400 से अधिक)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

भवन में निर्धारित मापदण्ड से अधिक मतदान केन्द्रों की संख्या		ऊपरी मंजिल पर स्थापित मतदान केन्द्रों की संख्या	निम्न सुविधाएं उपलब्ध वाले मतदान केन्द्रों की संख्या						विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं वाले मतदान केन्द्रों की संख्या	खिड़किया / दरवाजे टूटे हुए मतदान केन्द्रों की संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्थायी रैम्प है ऐसे मतदान केन्द्रों की संख्या	रास्ते में प्राकृतिक बाधा यथा नदी, नाले, वन आदि वाले मतदान केन्द्रो की संख्या	टिप्पणी
शहरी (4 से अधिक)	ग्रामीण (2 से अधिक)		पेयजल	शौचालय / मुत्रालय	शेड	प्रकाश	फर्नीचर	आवागमन हेतु एक दरवाजे वाले मतदान केन्द्रों की संख्या					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

हस्ताक्षर

दिनांकः–

परिशिष्ट – बी

मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन के प्रस्ताव

जिले का नाम ....

.... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या .... एवं आरक्षण की स्थिति : ....

वर्तमान मतदान केन्द्र					प्रस्तावित मतदान केन्द्र				
क. स.	मतदान केन्द्र की कम संख्या एवं भाग संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम एवं स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र का विवरण	मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम व स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र का विवरण	मतदाताओं की संख्या	क्या प्रस्तावित भवन पोलिंग ऐरिया में स्थित है	औचित्य
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट– कृपया भवन जीर्ण/शीर्ण अथवा निजी भवन है तो संबंधित आदेश/प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।

हस्ताक्षर मय सील
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)

परिशिष्ट – सी

<u>छूटे हुए क्षेत्र/परिक्षेत्र एवं नये सृजित अनुभागों का अंकन</u>

<u>जिलों का नाम</u>

.........................संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या .... एवं आरक्षण की स्थिति ....

वर्तमान मतदान केन्द्र					मतदान केन्द्र में छूटे हुए अनुभाग अथवा नवसृजित अनुभागों का नाम एवं मतदाताओं की संख्या		
क. स.	मतदान केन्द्र की कम संख्या एवं भाग संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम एवं स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र का विवरण मय अनुभाग/मतदाता कमांक	मतदाताओं की संख्या अनुभागवार लिखे	मतदान केन्द्र के क्षेत्र/परिक्षेत्र का विवरण मय नवसृजित/छूटे हुए अनुभागों के नाम सहित मतदाता कमांक	मतदाताओं की संख्या	टिप्पणी*
1.	2.	3	4	5	6	7	8

*नोट :– <u>स्पष्ट उल्लेख करे कि कौनसा अनुभाग छूटा है अथवा नवसृजित है तथा पूर्व के किस अनुभाग में सम्मिलित था।</u>